MT-1

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना का नाम :— लौकही थाना

निरीक्षण की तिथि :— 25 / 06 / 2001

निरीक्षी पदा0 का नाम :— डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा0 बी0 राजेन्दर ,भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा दिनांक 25.06.2001 को लौकही थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी।

(1) परिचय :

लौकही थाना की स्थापना अधिसूचना संख्या 11805, दिनांक 26–11–1979 के द्वारा फुलपरास थाना से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से की गई है। इसके पूर्व यह थाना सहायक थाना के रूप में कार्यरत था। किस तिथि से यह थाना पूर्ण रूप से कार्यरत है, इसकी सूचना नहीं दी गई। यह थाना जिला मुख्यालय से 79 कि0मी0 की दूरी पर भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित है। यह थाना फुलपरास आरक्षी अनुमंडल के अन्तर्गत आता है। आवागमन की दृष्टि से यह थाना असुविधाजनक है।

वितंतु संवाद संख्या 1425/गो0, दिनांक 20/06/2001 से सूचना दिये जाने के बाबजूद थाना प्रभारी, लौकही द्वारा निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर नहीं रखी गई है यह अत्यंत ही दुखद स्थिति है। निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं रहने के कारण विस्तुत निरीक्षण में काफी कठिनाई हुई। सूचनाओं की मॉग किये जाने पर वमुश्किल उपलब्ध करायी गई। सूचना दिये जाने के बाद भी न तो अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, फुलपरास और न ही आरक्षी निरीक्षक फुलपरास ही निरीक्षण के समय उपस्थित रहे।

लौकही अंचल के अन्तर्गत निम्नांकित थाना आते है :–

1– लौकही थाना
2– महादेवमठ थाना

लौकही थाना के अन्तर्गत निम्नांकित पिकेट हैं :–

1– बनगामा
2– बलुआ
3– नरहिया

थाना प्रभारी, लौकही ने जानकारी दी कि बनगामा पिकेट में सशस्त्र बल नहीं है। वहॉ चौकीदार से काम लिया जा रहा है। कोशी विभाग के भवन में यह पिकेट कार्यरत है। बलुआ पिकेट में 1–4 जिला सशस्त्र गृह रक्षक प्रतिनियुक्त हैं।

लगातार........2

(2) भवन :

लौकही थाना अपना भवन में कार्यरत है। थाना प्रभारी एवं स0 अ0 नि0 के लिए सरकारी आवास निर्मित है। साथ ही तीन भवन अधूरा पाया गया जिसे यदि पूर्ण कर लिया जाता है तो तीन पदाधिकारियों को आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्सट्रक्शन निगम, पटना को इस अधूरे भवन को पूर्ण करने हेतु अपने स्तर से अनुरोध करेंगे। थाना परिसर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चहार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। यह थाना भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टिकोण से चहार दिवारी का होना नितान्त आवश्यक है।चहार दिवारी के निर्माण हेतु आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्सट्रक्शन निगम, पटना को इस अधूरे भवन को पूर्ण करने हेतु अपने स्तर अनुरोध करना चाहेंगे। थाना भवन 5–6 एकड़ में अवस्थित है।अंचल अधिकारी, लौकही को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर इसकी नापी कराकर सीमांकन करा देंगे। यदि थाना की जमीन अतिक्रमित है तो खाली करा देंगे। थाना भवन में कुल चार कमरे हैं।महिला हाजत के पीछे शौचालय है। थाना परिसर में 16 सिमेंट के बिजली के खम्भे बहुत दिनों से पड़े हुए हैं।कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर इन बिजली के खम्भे को एक सप्ताह के अन्दर सुरक्षित रखवाकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

(3) प्रभार :

श्री राम ध्यान सिंह दिनांक 23/05/2000 से थाना प्रभारी लैकही के रुप में कार्यरत हैं। इसके पूर्व श्री एस0 के0 सुमन कार्यरत थे। थाना प्रभारियों का नामपट्ट उपलब्ध नहीं है।नामपट्ट थाना में उपलब्ध रहना आवश्याक है ताकि यह पता चल सके कि कौन–कौन थाना प्रभारी किस अवधि में पदस्थापित रहे हैं। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दो दिनों के अन्दर नामपट्ट तैयार कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे। बाद में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार निम्नांकित थाना प्रभारी उनके नाम के सामने अंकित अवधि में इस थाना में पदस्थापित रहे हैं :–

क्रमांक	पद	नाम	कब से	कब तक
1.	अ0 नि0	एस0 एन0 सिंह	24/09/76	20/11/77
2.	अ0 नि0	पी0 पी0 वर्णवाल	21/11/77	07/07/79
3.	अ0 नि0	आर0जे0 भारती	08/07/79	01/08/80
4.	अ0 नि0	एस0डी0 राय	02/08/80	16/12/82
5.	अ0 नि0	सुदामा प्रसाद	17/12/82	19/04/83

लगातार...3

6.	अ0 नि0	राम कृपाल सिंह	20/04/83	11/02/85
7.	अ0 नि0	मंजू पाण्डेय	12/02/85	10/07/86
8.	अ0नि0	रामा नन्द सिंह	11/07/86	24/01/88
9.	अ0 नि0	आर0सी0 शर्मा	25/01/88	26/04/89
10	अ0 नि0	बी0 एन0 सिंह	27/04/89	28/05/90
11.	अ0 नि0	के0 सिंह	29/05/90	14/04/91
12.	अ0 नि0	अरुण कुमार आर्या	15/04/91	23/01/92
13.	अ0 नि0	सूर्यदेव प्रसाद सिंह	24/01/92	23/04/94
14.	अ0 नि0	रणवीर सिंह	24/04/94	01/05/96
15.	अ0 नि0	बलराम सिंह	02/05/96	30/05/97
16.	अ0 नि0	कुमार धर्मेन्द्र सिंह	31/05/97	15/02/99
17.	अ0 नि0	एस0 के0 सुमन	16/02/99	22/05/2000
18.	अ0 नि0	राम ध्यान सिंह	23/05/2000	अद्यतन

(4) स्थापना :

लौकही थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1.	अवर निरीक्षक	2	2
2.	सहायक अवर निरीक्षक	1	3
3.	हवलदार	1	1
4	आरक्षी	6	3
	कुल :–	10	09

लगातार....4

स्वीकृत बल के विरुद्ध पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पद	नाम	पद स्थापन की तिथि	पूर्व पद स्थापन का स्थान	गृह पता
1.	अ0 नि0	राम ध्यान सिंह	14/05/2000	बासोपट्टी थाना	ग्राम–मछ्छागर ललीराम थाना–हथुआ, गोपालगंज
2.	अ0 नि0	भूदेव दास	30/09/2000	आरक्षी केन्द्र	ग्राम–बोचाही, थाना–मुफीसल, मुँगेर
3.	स0 अ0 नि0	मकसूद आलम	28/10/2000	लौकहा थाना	ग्राम+थाना–मनेर, पटना
4.	स0 अ0 नि0	विन्देश्वरी प्र0 शर्मा	04/02/2001	मधेपुर थाना	ग्राम–रामपुरचरुई,थाना–धोसी जहानाबाद
5.	स0 अ0 नि0	अनिरुद्ध सिंह	14/02/2001	भैरवस्थान थाना	ग्राम–बागमझौवा, थाना–सहार जिला– भोजपुर
6.	हवलदार	सूर्यनाथ सिंह	30/07/98	आरक्षी केन्द्र	ग्राम– सेवशा, थाना–सहार जिला– भोजपुर
7.	आरक्षी 749	राघवेन्द्र झा	28/10/98	आरक्षी केन्द्र	ग्राम–रानीपुर, थाना–बेनीपट्टी मधुबनी
8.	आरक्षी 457	बुचाई पासवान	29/10/98	आरक्षी केन्द्र	ग्राम–अन्टौर, थाना– बहेरा जिला–दरभंगा
9.	आरक्षी 466	रामेश्वर राय	12/02/99	आरक्षी केन्द्र	ग्राम–वासनपुर, थाना–मुफसिल, जिला–पूर्वीचम्पारण

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि स0 अ0 नि0 स्वीकृत बल 1 के विरुध 3 स0 अ0 नि0 पदस्थापित हैं जब कि आरक्षी बल 6 के स्थान पर 3 ही पदस्थापित हैं। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी स्वीकृत बल के पदस्थापन की दिशा में समीक्षोपरान्त कार्रवाई करेंगे।

लगातार...5

(5) पूर्व निरीक्षण :

इस थाना का पूर्व में किन–किन निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा कब–कब निरीक्षण किया गया है,इसकी सूची नहीं उपलब्ध करायी गयी। आरक्षी अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25–12–97को इस थाना का निरीक्षण किया गया है, जैसा कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया । इसके पूर्व श्री राम लखन प्रसाद,आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक 2–12–94 को इस थाना का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी सही ढंग से संधारित नहीं की गई है। प्राप्त निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया अथवा नहीं इसकी भी पूर्ण सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययन कर एक विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें जिसमें किस निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा कब निरीक्षण किया गया, निरीक्षण टिप्पणी कब प्राप्त हुई एवं उसका पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया अथवा नहीं। बेहतर होगा कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए निरीक्षण टिप्पणी का अलग–अलग रक्षी संचिका संधारित किया जाय। निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन समय पर किये जाने से कार्यों में गुणात्मक सुधार आने की प्रबल संभावना रहती है।

(6) थाना दैनिकी :

पुलिस हस्तक के नियम–116 के तहत फार्म नं0 15 में थाना दैनिकी संधारित करना है। थाना में उपलब्ध दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांकित भौलूम विहित प्रपत्र में संधारित है। यह दो प्रतियों में होती है। कार्बन प्रति आरक्षी निरीक्षक,फुलपरास अंचल को प्रति दिन भेज दी जाती है। आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है। थाना दैनिकी में हर दों घटें की सूचनाओं अंकित किया जाता है। ये कार्य 08–00 बजें पूर्वाह्न से प्रारम्भ होकर दूसरे दिन 08 बजे पूर्वाह्न तक चलता है तथा पुनः उसी सिलसिलेवार में थाना दैनिकी में सूचनाएँ अंकित करने का कार्य जारी रहता है अर्थात 24 घंटे तक की सूचनाएँ प्रतिदिन थाना दैनिकी में अंकित की जाती है। थाना दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है यह नियमित रूप से लिखा जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी के बुक संख्या 77308 के क्रमांक 7729901 से 7730000 तक का अवलोकन किया। यह दैनिकी दिनांक 25–06–2001 कें 16.00 बजे तक लिखा गया पाया गया। इस माह इस दैनिकी में क्रमांक 392 तक प्रविष्टि की गई है। विगत माह दिनांक 25–5–2001 को प्रविष्टि संख्या 428 में 13.00 बजे अंकित किया गया है कि फुलपरास थाना के

लगातार...6

चौकीदार बद्री मंडल आये और खरवीरा देवी जौजे राम अवतार यादव, सा0 बलुआ के संबंध में लौकही थाना कांड संख्या 50/2001 धारा 341/323/379/427 अंकित कराया। इस कांड का अनुसंधान ए0 सिंह करेंगे। स्पष्टतः थाना दैनिकी अच्छे ढंग से संधारित की गई है।

(7) फिरारी पंजी :

पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। फिरारी पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि भाग संख्या–1 में मधुरी साह एवं घूरण साह, सा0 मझौरा को वर्ष 1947 से फरार घोषित किया गया है। ये लोग कांड संख्या 5(8) धारा 457/380 भा0द0वि0 के अन्तर्गत नामजद अभियुक्त है। भाग संख्या–2 में दो नेपाली व्यक्ति यथा रामजी दुसाध एवं बिहारी ततमा,ग्राम–पो0 भैरव को फुलपरास थाना कांड संख्या 15(8) धारा 118,62 भा0द0वि0 के अंतर्गत फिरार घोषित किया गया है। चारों फिरार लोंगों की गिरफतारी हेतु दिनांक 27–10–2000 को छापामारी की गई है, किन्तु गिरफतार नहीं किया जा सका। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में इन फिरारी व्यक्तियों की गिरफतारी हेतु सघन अभियान चलाकर इसे अंजाम दें।

(8) रिटार्न ऑफ–अनएक्सक्यूटेड वारंट :

पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म न0 50 में पंजी संधारित करना है, जो इस थाना में नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि कुल 38 वारंट बिना तामिला के लंबित थे जिनमें से 4 वारंट संबंधित न्यायालय को लौटाये गये हैं। शेष 34 वारंट लंबित हैं। माह मई,2001 में प्राप्त वारंटों
की विवरणी निम्न प्रकार है :–

पूर्व से लंबित		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निष्पादित		वर्तमान माह मे लं0	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
1	2	6	0	1	0	6	2

लगातार....7

पदाधिकारीवार लंबित वारंट–कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है:–

	वारंट	कुर्की
1–अ0 नि0 भूदेव दास	2	0
2–स0अ0 नि0 बिन्देश्वर शर्मा	3	0
3–स0अ0 नि0 एस आलम	1	1
4–स0अ0 नि0 अनिरुद्व सिंह	0	1

थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में रिटर्न आंफ अन–एक्सक्यूटेड वारंट का एक पंजी संधारित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।लंवित वारंट/ या कुर्की का अविलंब तामिला करावें एवं शेष 26 वारंटों के संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

(9) गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :

पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म न0 31 ए में इस पंजी को संधारित करना है। परन्तु इस थाना में इसे संधारित नहीं किया जा रहा है।थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि विहित प्रपत्र आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त नहीं होने के कारण इसे संधारित नहीं किया गया है।उन्हें निर्देश दिया गया कि अविलंब आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर प्रपत्र प्राप्त कर संधारित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। श्री राधवेन्द्र झा मुंशी आरक्षी संख्या 749 द्वारा बताया गया कि इस पंजी को संधारित करना ए0एस0आई0 का काम है जब कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि इस पंजी को संधारित करना मुंशी का ही दायित्व है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार के गलत बयानी के लिए मुंशी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर भेजें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।

(10) रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :

पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म न0 25 में यह पंजी संधारित है। यह पंजी दिनांक 15/12/2000 को मधुबनी समाहरणालय स्थित जिला गोपनीय प्रशाखा–सह शस्त्र शाखा से मिलान करवा लिया गया है। आर्म्स

लगातार...8

पदाधिकारीवार लंबित वारंट–कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है:–

	वारंट	कुर्की
1–अ0 नि0 भूदेव दास	2	0
2–स0अ0 नि0 बिन्देश्वर शर्मा	3	0
3–स0अ0 नि0 एस आलम	1	1
4–स0अ0 नि0 अनिरुद्व सिंह	0	1

थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में रिटर्न आंफ अन–एक्सक्यूटेड वारंट का एक पंजी संधारित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।लंवित वारंट/ या कुर्की का अविलंब तामिला करावें एवं शेष 26 वारंटों के संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

(9) गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :

पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म न0 31 ए में इस पंजी को संधारित करना है। परन्तु इस थाना में इसे संधारित नहीं किया जा रहा है।थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि विहित प्रपत्र आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त नहीं होने के कारण इसे संधारित नहीं किया गया है।उन्हें निर्देश दिया गया कि अविलंब आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर प्रपत्र प्राप्त कर संधारित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। श्री राधवेन्द्र झा मुंशी आरक्षी संख्या 749 द्वारा बताया गया कि इस पंजी को संधारित करना ए0एस0आई0 का काम है जब कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि इस पंजी को संधारित करना मुंशी का ही दायित्व है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार के गलत बयानी के लिए मुंशी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर भेजें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।

(10) रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :

पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म न0 25 में यह पंजी संधारित है। यह पंजी दिनांक 15/12/2000 को मधुबनी समाहरणालय स्थित जिला गोपनीय प्रशाखा–सह शस्त्र शाखा से मिलान करवा लिया गया है। आर्म्स

लगातार...8

एक्ट के नियम 48 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान करवाना है। इसके पूर्व कब मिलान करवाया गया था, स्पष्ट नहीं किया जा सका। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के यहाँ पंजी भेज कर सत्यापन करा लें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

इस थाना में कुल 54 आर्म्स लाईसेंस हैं जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

(क) एस0बी0बी0एल0	: 03
(ख) डी0बी0बी0एल0	: 48
(ग) रिवॉलवर	: 01
(ध) राईफल	: 02
कुलः–	54

(11) हाजत पंजी :

पुलिस हस्तक के भौलूम 11 के नियम – 239 ए में फार्म सं0 43 ए में यह पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं की गई है।थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि प्रपत्र के अभाव में पंजी संधारित नहीं की गई है। यह पंजी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाजत में बन्दी को ठीक प्रकार से रखा जाय। अगर पंजी का संधारण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है और स्तम्भ खाली रखे जाते हैं, तथा बन्दी के साथ कोई घटना घट जाती है, तो एसी स्थिति में साधारणतया यह माना जा सकता है कि थाना प्रभारी के द्वारा अपने कर्तब्यों में लापरवाही बरती गई है। यह पंजी उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी मामले में प्रतिवेदन की मांग की जाती है, तो उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर विहित प्रपत्र प्राप्त कर पंजी संधारण करें। उक्त पंजी में हाजत संतरी से भी हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें।

लगातार....9

(12) तख्ती न0:– 01

सरकारी संपति की सूची से संबंधित तख्ती न0 1 का अवलोकन किया। इसे सही ढंग से संधारित नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि परिचारी प्रवर द्वारा सरकारी संपति का अद्यतन व्योरा नहीं दिया गया है।उन्हें निर्देश दिया गया कि प्रचारी प्रवर से सम्पर्क कर सरकारी सम्पति की अद्यतन स्थिति (सूची) प्राप्त कर लें एवं सरकारी सम्पति के साथ–साथ थाना परिसर के क्षेत्र में रखें सरकारी एवं लावारिस सम्पति को भी दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सकें एवं सरकारी सम्पति को हड़पने या इसकी क्षति पहुँचाने से रोका जा सके। थाना प्रभारी कार्रवाई सूनिश्चित कर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।

(13) तख्ती न0 :–2

इस थाना क्षेत्र में फैक्टरी नहीं रहने के कारण इसमें कोई सूचनाऍं अंकित नहीं है।

(14) तख्ती न0 :–3

विस्फोटक अनुज्ञापत्र भंडारण का कोई मामला इस थाना में नहीं है।

(15) तख्ती न0 :– 4

शून्य

(16) तख्ती न0 :– 5

शून्य

(17) तख्ती न0 :–6

इस तख्ती में शुन्य लिखा गया है। वर्ष 1998 के बाद का कोई उल्लेख नहीं है। थाना प्रभारी को उनके थाना क्षेत्र में देशी एवं विदेशी शराब की कितनी दूकानें हैं, इसकी जानकारी नही है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है क्यों कि शराब ही अपराध की जड है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी से लौकही थाना क्षेत्र में देशी एवं विदेशी शराब की कितनी दूकानें खोली गई हैं, दो दिनों के अन्दर सूची प्राप्त कर इस तख्ती को अद्यतन करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।अधीक्षक–उत्पाद, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि लौकही थाना के अन्तर्गत पडनें वाले शराब दूकानें की सूची दो दिनों के अन्दर थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दें

लगातार....10

(18) तख्ती नं0 –7 :

यह तख्ती डियूटी चार्ट से संबंधित है एवं 24–06–2001 तक लिखा हुआ पाया गया । इसे स्पष्ट रुप से अच्छे अक्षरों में लिखवाना सुनिश्चित करें। इस तख्ती में अपलेखन किया गया है, जो उचित नहीं है।

(19) तख्ती नं0 – 8 :

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना क्षेत्र में गेसिंग एवं जुआ अडडा नहीं है।

(20) तख्ती नं0 – 9 :

लौकही थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट–बजार की तिथिवार सूचना निम्न प्रकार है :–

कमांक	स्थान	दिन
1	लौकही	सोमवार, शुक्रवार
2	बनगामा	बुधवार, रविवार
3	नरहिया	सोमवार, शुक्रवार
4	झहुरी	रविवार, वृहस्पतिवार
5	झहुरी चौक	बुधवार, शनिवार
6	भवानीपुर	रविवार, बुधवार
7	मनसापुर	मंगलवार,शनिवार
8	करियौत	वृहस्पतिवार रविवार

(21) तख्ती नं0–10 :

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि नव निर्वाचित मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच आदि की सूची प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौकही से संपर्क कर सूची प्राप्त कर लेंगे एवं संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे। इस तख्ती को संधारित करने का मुख्य उद्देश्य है कि यह जानकारी हो सके कि इस थाना में कौन–कौन प्रमुख व्यक्ति है क्योंकि इनकी सहयोग से विधि व्यवस्था के संधारन में मदद मिल सकती है।

लगातार.....11

(22) तख्ती नं0 –11 :

यह तख्ती नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जानी है। इस तख्ती में थाना एवं जिला का नाम दिनांक 6–10–2000 की तिथि में अंकित है।

(23) तख्ती नं0 –12 :

इस तख्ती में दागी व्यक्ति की सूची रखी जाती है। इस तख्ती को वर्ष 1998 के बाद अद्यतन नहीं किया गया है। इस तख्ती में देवनाथ यादव पे0 नेवालाल यादव, चुल्हाई मुसहर, भुवनेश्वर मुसहर, को चोरी एवं डकैती के अपराध में निगरानी में रखा गया है एवं ये अभी तक फरार हैं। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सूची को अद्यतन करें एवं दुष्कर्मियों पर कडी निगरानी रखें।

(24) तख्ती नं0 –13 :

इस तख्ती में अगल–बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची होनी चाहिए परन्तु वर्ष 1996 के बाद इसे अद्यतन नहीं किया गया है,जो चिन्ता का विषय है। थाना प्रभारी तीन दिनों के अन्दर सूची को अद्यतन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।

(25) तख्ती नं0 –14 :

शून्य।

(26) तख्ती नं0 –15 :

थाना में मानचित्र संधारित है परन्तु बहुत जर्जर स्थित में है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नवगठित पंचायत के अनुसार नये मानचित्र बनाकर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करें ताकि एक नजर में पूरे थाना क्षेत्र की जानकारी मिल सके।

लगातार.....12

(27) तख्ती नं0 –16 :

सरकारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस स्टेशन का सृजन किया जाता हैं। उक्त अधिसूचना में थाना नं0, क्षेत्रफल, जनसंख्या, गावों की सूची आदि का उल्लेख रहता है। उक्त अधिसूचना की प्रति जिला मुख्यालय से एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

उपरोक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना प्रभारी इसको अद्यतन करनें में सफल नहीं हो पाये हैं।उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इसे अद्यतन कर अनुपालन प्रंतिवेदन दें । वस्तुतः जब कोई थाना प्रभारी योगदान करते हैं, तो उनका पहला दायित्व होता है कि सभी अभिलेख / तख्तियों को अद्यतन कर लें।थाना प्रभारी इसे अद्यतन कर 31 जुलाई, 2001 तक अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

(28) सब–इन्सपेक्टर नोट बुक :

पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म नं0 75 बी0 में सब–इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परंतु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी अपनी निजी डायरी में इसे संधारित करते हैं। निदेश दिया जाता है कि इसे विहित प्रपत्र में संधारित करवाना सुनिश्चित करें।

(29) खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट–1 :

विहित प्रपत्र में संधारित है।

(30) खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट–2 :

यह विहित प्रपत्र में है जिसमें 64 कांलम है। वर्ष 1992 तक ही लेख बना हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि 30 जून, 2001 तक अद्यतन कर अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास को प्रतिवेदित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।

लगातार...13

(31) सी0 डी0 पार्ट– 2 :

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इसका विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है जिससे संधारित नहीं किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक से संपर्क कर विहित प्रपत्र प्राप्त कर सभी मामलों को इन्द्राज करें।

(32) सी0 डी0 पार्ट– 3 :

सी0 डी0 पार्ट–3 में 18–12–2000 तक के ही मामले लिखे गये हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि थाना क्षेत्र में सभी मुख्य विषयों पर गोपनीय अभ्युक्तियों को अंकित करना है जिससे आनेवले थाना प्रभारी को इससे काफी मदद मिलती है। थाना क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के बारे में, अपराध के बारे में लिखा जाता है। यह तीन खंडों में होता है।

(33) अल्फावेट अनुक्रमण पंजी :

अगर किसी व्यक्ति का चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमण पंजी से नाम देखकर सी0 डी0 पार्ट– 2 से जानकारी ली जाती है। वस्तुतः अल्फावेट अनुक्रमण पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त हैं। यह पंजी सी0 डी0 पार्ट– 2 में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई गई है।

(34) अप्राथमिकी (नन–एफ0आई0आर0) :

विगत 5 वर्षो का अप्राथमिकी आंकडा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	107/116	109	144/145	133	182/211	188	186	290
1996	110	–	23	–	–	–	–	2
1997	41	–	22	–	3	–	–	–
1998	197	–	21	2	5	–	1	–
1999	136	–	23	–	5	2	–	–
2000	120	–	25	1	5	2	–	–
2001	68	–	14	–	1	–	–	–

लगातार....14

(35) अप्राकृतिक मृत्यु :

यह विहित प्रपत्र में संधारित है। विगत पांच वर्षो का अप्राकृतिक मृत्यू से संबंधित आंकडा निम्न प्रकार है

वर्ष	सर्पदंश से	जहर खाने	पानीमें डूबने	बिजली से	आग से	फांसी से	विविध	योग
1996	1	–	1	1	1	–	–	4
1997	3	–	1	–	–	–	–	4
1998	–	–	3	–	1	1	–	5
1999	1	–	–	–	–	–	2	3
2000	1	–	–	–	–	1	2	4
2001	–	–	–	–	–	–	1	1

लंबित अप्राकृतिकमृत्यु अभियोग की विवरणी निम्न प्रकार है :–

कमांक	कांड संख्या एवं दिनांक	ग्राम	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम
1–	यू0डी0कांडसं0–1/99 दि0 28–5–99	मिसरा गांव	ए0 एस0 आई0 बी0 पी0 शर्मा
2–	———————–2/99 दि0 29–5–99	तदैव	तदैव
3–	1/2001 दि0 8–6–2001	तदैव	एस0 आई0 बी0 दास

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यू0डी0कांडसं0–1/99 एवं 2/99 काफी दिनों से लंबित चला आ रहा है।ए0 एस0 आई0 बी0 पी0 शर्मा को निर्देश दिया जाता है कि दोनों कांडों का अनुसंधान कार्य एक माह के अंदर निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे। थाना प्रभारी लौकही, इसे सुनिश्चित करायेंगे।

लगातार...15

(36) हरिजन/ आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

हरिजन/ आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की सूची इस थाना में संधारित नहीं है। विदित हो कि यह क्षेत्र हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं हरिजन/ आदिवासी के विरुद्व अत्याचार की घटना के संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से सूचनाएं मिलती रहती है। इतना हीं नहीं जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक वृहस्पतिवार को जनता देरबार में आम जनता की शिकायतें सुनने के दौरान अधिकांश मामले हरिजन अत्याचार से संबंधित होती हैं। उनके द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना में कोई कारवाई नहीं होती है। अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसके लिए अलग से पंजी संधारित करें एवं कोई भी मामला प्रकाश में आने पर उसका निवारण सही ढंग से एवं त्वरित गति से करें। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है परन्तु इसके संबंध में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यदि एक दो मामलों में कारवाई होती है तो इस अधिनियम के संबंध में लोगों को जानकारी मिल सकती है। इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करना इसका उल्लंघन माना जायगा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(37) रजिस्टर आंफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :

यह पंजी इस थाना में संधारित नहीं है। पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म नं0–67 में यह पंजी संधारित किया जाता है। थाना प्रभारी विहित प्रपत्र में पंजी संधारित करेंगे। इस थाना में 8 डी0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक जमा है।

(38) दैनिक प्रतिवेदन एवं सप्ताहिक प्रतिवेदन :

पुलिस हस्तक के नियम–59 के तहत फार्म नं0 6ए में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। आरक्षी निरीक्षक को प्रतिदिन के थाना दैनिकी से प्राथमिकी दर्ज किये गये मामलों में से मुख्य मामलों का दैनिक प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित करना है। परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी उसे जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हैं। थाना प्रभारी इसे सुनिश्चत करेंगे।

(39) चौकीदारी पंजी :

चौकीदारी पंजी का अवलोकन किया गया। इसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसे विहित प्रपत्र में संधारित किया जा रहा है। सभी चौकीदारों के लिए अलग–अलग पृष्ठ आवंटित है। उपस्थित रोमण अंक में दर्ज की जाती है। अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन में लिखा जाता है।

लगातार...16

चौकीदारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	वर्तमान बल	रिक्ति
1	दफादार	3	2	1
2	चौकीदार	56	54	2

थाना प्रभारी ने बताया कि सर्किल नं0–2 का दफादार रियासत हुसैन के मरनें के बाद दफादार का एक पद रिक्त है। इसी प्रकार चौकीदार 4/2 बदरी पासवान दि0 1–6–2000 को सेवानिवृत हुये तथा चौकीदार 1/4 लक्ष्मी राय को गश्ती के दौरान लकवा मार देने की वजह से दिनांक 24–6–2001 को इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई जिससे 2 पद रिक्त है।

चैाकीदारी परेड का निरीक्षण किया गया। कुल 41 चैाकीदार उपस्थित हुए। दो महिला चौकीदारों की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर हुई है। एक चैाकीदार एवजी हैं। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी चौकीदारों से 2–2 तस्वीर लेकर उसकी पीठ पर सारी सूचनाएं अंकित कर एक प्रति थाना में रखें एवं एक प्रति जिला कार्यालय को शीघ्र भेजें।

लौकही थाना में पदस्थापित चौकीदारों / दफादारों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	महाल एवं वीट संख्या	नाम	अभ्युक्ति
1	1/1	बालेश्वर सिंह	
2	1/2	मो0 रफीक	
3	1/3	लक्ष्मी यादव	
4	1/5	रंजन पासवान	
5	1/6	धनिक लाल पासवान	
6	1/7	बुचाई दास	
7	1/8	मो0 सकुर मियां	
8	1/9	महिला चौ0 दायमुन देवी	
9	1/10	भोला कामत	

लगातार.....17

10	1/11	छुतहरु मंसुरी
11	1/12	सुरत लाल राय
12	1/13	लखन ततमा
13	1/14	लक्ष्मेश्वर पासवान
14	1/15	शिवशंकर यादव
15	1/16	अर्जुन पासवान
16	1/17	फिददी राय
17	2/1	मिश्री लाल पासवान
18	2/2	विलट पासवान
19	2/3	हरि नारायण खतवे
20	2/4	सियाराम मंडल
21	2/5	अरिविन्द कुमार
22	2/6	मो0 तस्लीम
23	2/7	मो0 रहमुल
24	2/8	राम सेवक पासवान
25	2/9	मो0 बदीरूददीन
26	2/10	रमजानी मोमीन
27	2/11	बिन्देश्वर पासवान
28	2/12	बैद्यनाथ पासवान
29	2/13	मुक्ति लाल मंडल
30	2/14	नथुनी खतवे
31	4/1	सीताराम पासवन
32	4/3	राम कुमार ठाकुर
33	4/4	लाल बहादुर मंडल
34	4/5	राम नन्दन मंडल
35	4/6	बैद्यनाथ मुखिया
36	4/7	नरेन्द्र पासवान
37	4/8	गणेश मुखिया
38	4/9	बिन्दा पासवान
39	4/10	खखन पासवान

लगातार.....18

40	4/11	खुशी लाल पासवान
41	4/12	गोपाल पासवान
42	4/13	राम प्रसाद पासवान
43	5/1	हीरा लाल खतवे
44	5/2	अशोक कुमार मंडल
45	5/3	राजेन्द्र पासवान
46	5/4	फुलदेव पासवसन
47	5/7	जागेश्वर पासवान
48	वी० चौ०	मो० असगर अली
49	....	देव कुमार सदाय
50	....	भुटाई पासवान
51	....	डोमी पासवान
52	....	राम सुन्दर मुखिया
53	....	जागेश्वर पासवान
54	म० चौ०–2	जमीला खातुन
55	दफादार	युगल किशोर सिंह
56	दफादार	महेन्द्र प्रसाद सिंह

(40) चौकीदार डीसपोजीशन पंजी :

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है।

(41) मालखाना पंजी :

मालखाना पंजी में मुख्यतः निम्नलिखित तरह के सामानों की प्रविष्टियाँ अंकित की जाती हैः–

(क) लावारिस सामान
(ख) जप्त सम्पति
(ग) कुर्की से प्राप्त सम्पति

लगातार..19

मालखाना पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। इसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि बहुत सारे सामान एक लम्बे अर्से से अनावश्यक रूप से पड़े हुए हैं जिसे नीलाम करने की आवश्यकता है।गॉजा के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी,सड़ रही है।इसी प्रकार एक कमरा में जप्त गॉजा रखा हुआ है।बताया गया है कि वह गॉजा सड़ कर मिट्टी हो गया है एवं उस कोठरी में सॉप के निवास करने की संभावना है।एक मोटरसाईकिल बरामदा के नीचे जर्जर हालत में पड़ी हुई है। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि उसकी सूची 15 दिनों के अन्दर बनाकर नीलामी हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। बताया गया कि जप्त गाजा से संबंधित केश का निष्पादन न्यायालय द्वारा हो चुका है। अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास को निदेश दिया जाता है कि इसकी सत्यता की जॉच कर एक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर जप्त गॉजा को निष्पादित करने की कार्रवाई 15 दिनों में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजे। मालखाना का निरीक्षण किया गया एवं सभी जप्त प्रदर्श अच्छे ढंग से रखे पाये गये।

(42) मालखाना रिसिट भाउचर पंजी :

सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम दंडाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त प्रदर्श मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति मालखाना रिसिट भाउचर पंजी में पेस्ट कर रखा जाता है।

(43) अनुक्रमण पंजी :

थाना में कितने तरह की पंजी संधारित है एवं कितनी पंजियॉ है, उसके संबंध में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित किये जाने वाले सभी पंजियों एवं संचिकाओं के संबंध में अनुक्रमण पंजी तैयार कर रखी जाय।

(44) गुण्डा पंजी :

विहित प्रपत्र में पंजी संधारित नहीं है। इसे विहित प्रपत्र में संधारित कर अद्यतन करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । यह पंजी 12/12/97 तक ही लिखा गया है।

लगातार..20

(45) अपराध ऑकड़ा :

विगत पाँच वर्षों का ऑकड़ा निम्न प्रकार है।

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1996	2	2	3	5	14	24
1997	1	1	1	7	12	27
1998	1	1	1	6	16	15
1999	2	3	1	4	11	8
2000	2	3	—	8	11	5
2001	3	—	—	1	02	2

(46) पत्राचार :

पंजी संधारित है किन्तु थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित नहीं है । वर्ष 2001 में दिनांक 24/06/2001 तक कुल 245 पत्र निर्गत किये गये है। प्राप्त पंजी दिनांक 01/06/2001 तक ही संधारित है ।

(47) कान्सटेबल नोट बुक :

इस थाना में किसी कान्सटेबल के पास नोट बुक संधारित नहीं है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे विहित प्रपत्र में संधारित करवाना सुनिश्चित करें।

(48)– प्राथमिकी पंजी :–

प्राथमिकी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। प्राथमिकी पंजी के क्रमांक 2910701 से 2910750 तक का अवलोकन किया इसमें कुल 58 कांड दर्ज है। जिला मुख्यालय में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कि जाती है। जब आम आदमी थाना प्रभारी के पास न्याय के लिए आते है, अगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो उनका विश्वास प्रशासन से उठ जाता है एवं वे हताश हो जाते है। जब कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाय तथा वे थाने की शरण में आये तो उनकी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुने तथा निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

(49) लंबित विशेष प्रतिवेदित कांड की विवरणी।

लौकही थाना में लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	कांड संख्या	धारा, तिथि सहित	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित रहने का कारण
1	27/88	दिनांक 03/03/88, धारा 409, भा0द0वि0	एस0 आई0 बी0 दास	गिरफ्तारी
2	132/93	दिनांक 09/08/93, धारा 406/409/467/468/120	तदैव	तदैव
3	30/99	दिनांक 09/11/99 धारा 341 /323	तदैव	तदैव
4	147/99	दिनांक 23/11/99 धारा 366 ए भा0द0वि0	तदैव	तदैव
5	23/2001	दिनांक 17/03/2001 धारा 320/201/34/भा0द0वि0	तदैव	तदैव
6	32/2001	दिनांक 23/04/2001 धारा 171 (सी) /324 307 भा0द0वि0 /3/5 वि0अधि0135/136आर0पी0एक्ट	तदैव	तदैव
7	33/2001	दिनांक 23/04/2001 धारा 3/4 वि0पदा0अधि0	तदैव	तदैव
8	35/2001	दिनांक 23/04/2001 धारा 171/135/136आर0पी0एक्ट	तदैव	तदैव
9	39/2001	दिनांक 28/04/2001 धारा 147/148/149 /171/27/3/4/135/136	तदैव	तदैव
10	40/2001	दिनांक 28/04/2001 धारा 171/511/27	तदैव	तदैव
11	167/96	दिनांक 13/11/96 धारा 147/148/149/302/27	सी0 आई0 डी0 सेन्ट्रल	
12	149/2000	दिनांक 10/09/2000 धारा 406/407	ए0एस0आई0.एम0 आलम	गिरफ्तारी
13	186/2000	दिनांक 04/12/2000 धारा 306 भा0द0वि0	तदैव	तदैव
14	43/2001	दिनांक 11/05/2001 धारा 25/26/27	तदैव	अनु0
15	165/2000	दिनांक 18/10/2000 धारा 320/34	अनु0ओ0पदा0.फुलपरास	
16	191/2000	दिनांक 02/11/2000 धारा 436/447/504/34	ए0एस0आई0. ए0 सिंह	गिरफ्तारी
17	42/2001	दिनांक 10/05/2001 धारा 25/26/35/414	तदैव	अनु0
18	(4/2001)	दिनांक 18/01/2001 धारा 436/34/भा0द0वि0	ए0एस0आई0.बी0पी0शर्मा	तदैव

लगातार....22

19	27/2001	दिनांक 03 / 04 / 2001 धारा 25 / 26 / 35	तदैव	तदैव
20	(10/2001)	दिनांक 02 / 02 / 2001 धारा 341 / 447 / 307 / 27	ए0एस0आई0, आर0 डी0 सिंह	तदैव
21	16/2001	दिनांक 18 / 02 / 2001 धारा 302 / 34	तदैव	तदैव
22	22/2001	दिनांक 15 / 03 / 2001 धारा 302 / 301 / 34	तदैव	तदैव
23	30/2001	दिनांक 15 / 03 / 2001 धारा 25 (बी0) एक्ट	तदैव	तदैव
24	34/2001	दिनांक 23 / 04 / 2001 धारा 3 / 4 बी0प0अधि0	तदैव	तदैव

50. लंबित मामलों अविशेष प्रतिवेदित कांडों की सूची :–

1	(50/92)	दिनांक 08 / 05 / 92 धारा 379 भा0द0 वि0	ए0एस0आई0,ए0 सिंह	
2	(50/2001)	दिनांक 25 / 05 / 2001 धारा 342 / 323 / 379 / 504 / 34	तदैव	
3	160/99	दिनांक 12 / 12 / 99 धारा 341 / 323 / 504 / 379 / 34	ए0एस0आई0,एम0 आलम	अनु0
4	16/2000	दिनांक 142 / 01 / 2000 धारा 379 भा0द0वि0.	तदैव	तदैव
5	144/2000	दिनांक 02 / 09 / 2000 धारा 279 / 337 / 338	तदैव	तदैव
6	46/2001	दिनांक 18 / 05 / 2001 धारा 341 / 447 / 307 / 379 / 504 / 34	तदैव	तदैव
7	47/2001	दिनांक 19 / 05 / 2001 धारा 341 / 447 / 379 / 323 / 341	तदैव	तदैव
8	178/2000	दिनांक 20 / 11 / 2000 धारा 379 भा0द0वि0	एस0आई0, बी0 दास	तदैव
9	195/2000	दिनांक 21 / 12 / 2000 धारा 447 / 379 / 323 / 34	तदैव	तदैव
10	(09/2000)	दिनांक 01 / 02 / 2001 धारा 448 / 354 / 34 /	तदैव	तदैव
11	38/2001	दिनांक 25 / 04 / 2001 धारा 341 / 323 / 504 / 34	तदैव	तदैव
12	28/2001	दिनांक 09 / 04 / 2001 धारा 341 / 447 / 307	एस0आई0, आर0 डी0 सिंह	तदैव
13	29/2001	दिनांक 10 / 04 / 2001 धारा 341 / 379 / 34	तदैव	तदैव
14	52/2001	दिनांक 29 / 05 / 2001 धारा 147 / 341 / 452 / 323 / 380 / 34	तदैव	तदैव
15	51/2001	दिनांक 25 / 05 / 2001 धारा 341 / 323 / 379 / 34 भा0द0वि0	ए0एस0आई0 पी0 शर्मा	तदैव

लगातार....23

(51) समान गार्ड :

निरीक्षण के दौरान निम्नांकित आरखी कर्मियों ने अधोहस्ताक्षरी को सलामी निष्ठापूर्वक दी। इन सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इनका मनोबल को उँचा उठाने हेतु इन्हें नियमानुसार पुरस्कृत करेंगे।

1– हवलदार – जय प्रकाश शर्मा
2– आरक्षी 351 – रामा शंकर सिंह
3– आरक्षी 281 – जय कृष्ण पासवान
4– आरक्षी 244 – राम प्रसाद उरॉव

(52) अन्यान्य :

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी गई कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कार्य करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंवित मामलों का अनुसंधान कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(ख)जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक मे अक्सर यह भी शिकायत मिलती है कि अनुसंधान कर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में कन्भीक्सन का सामना करना पड़ता है। अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दिया जाय। गवाह प्रोडक्सन के लिए जो सम्मन थाना को भेजे जाते हैं उसका तामिला निश्चित तौर पर करायी जाय।

(ग) निलाम पत्र वादों में प्राप्त डी0 डब्लू0 एवं बी0 डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

लगातार.....24

(53) निष्कर्ष :

कुल मिलाकर थाना की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। थाना प्रभारी को अपने कार्य कलाप में सुधार लाने की आवश्यकता है थाना प्रभारी को उन पंजियों पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर निरीक्षण के दौरान टिप्पणी में अद्यतन करने के विन्दू अंकित किये गये है।ऐसा करने से महत्वपूर्ण पंजियॉ अद्यतन तो होगी ही, साथ ही साथ इससे सक्रिय अपराधियों पर नियंत्रण रखने में, अभियुक्तों के विरुद्ध निर्गत वारन्ट के कार्यान्वयन में, मालखाना में रखे अतिआवश्यक परिसम्पतियों के निष्पादन की दिशा में तथा क्षेत्र में अवैध रुप से किये जानेवाले कारोवार आदि को नियंत्रित करने में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये अनुदेशों का यदि अक्षरशः अनुपालन कर दिया जाता है तो थाना के कार्य–कलाप में गुणात्मक सुधार हो जायगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 753 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 24 जुलाई 2001 ई0।

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – गृह सचिव, बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी अनुमंडल पदा0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी अनु0 आरक्षी पदा0,/आरक्षी निरीक्षक, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी थाना प्रभारी, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22.7.2001
जिला पदाधिकारी
मधुबनी।